बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 04 अक्टूबर, 2018 ई० ।

संख्या-नि०को०-3/2018- 5650 /वि०स० । बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2018 के नियम 8(ख) के अधीन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, सभा सचिवालय में समूह-ख एवं समूह-ग के विभिन्न कोटि के पदों पर भरती की पद्धति/पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं परीक्षाओं के संचालन हेतु राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त अभिकरण (एजेन्सी)/संस्था आदि के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं :-

बिहार विधान सभा सचिवालय (सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2018

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – यह आदेश बिहार विधान सभा सचिवालय (सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2018 कही जा सकेगी ।
2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।
3. बिहार विधान सभा सचिवालय में समूह-ख एवं समूह-ग के विभिन्न कोटि के पदों पर सीधी भरती हेतु पद्धतियाँ वही होगी जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न 'परिशिष्ट' में वर्णित है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
(बटेश्वर नाथ पाण्डेय)
सचिव, 04/10/18
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-नि०को०-3/2018- 5651 /वि०स० । पटना, दिनांक- 04 अक्टूबर, 2018 ई० ।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
(बटेश्वर नाथ पाण्डेय) 04/10/18
सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-नि०को०-3/2018- 5651 /वि०स० । पटना, दिनांक- 04 अक्टूबर, 2018 ई० ।

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
(बटेश्वर नाथ पाण्डेय)
सचिव 04/10/18
बिहार विधान सभा, पटना ।

4/10/2018

ज्ञापांक-नि०को०-3/2018- 5651 /वि०स० । पटना, दिनांक- 04 अक्टूबर, 2018 ई० ।

प्रतिलिपि:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
(बटेश्वर नाथ पाण्डेय)
सचिव 04/10/18
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-नि०को०-3/2018- 5651 /वि०स० । पटना, दिनांक- 04 अक्टूबर, 2018 ई० ।

प्रतिलिपि:-सभी उप सचिवगण / सभी अवर सचिवगण, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
(बटेश्वर नाथ पाण्डेय)
सचिव 04/10/18
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-नि०को०-3/2018- 5651 /वि०स० । पटना, दिनांक- 04 अक्टूबर, 2018 ई० ।

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 25 (पच्चीस) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
(बटेश्वर नाथ पाण्डेय)
सचिव 04/10/18
बिहार विधान सभा, पटना ।

4/10/2018

बिहार विधान सभा सचिवालय (सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2018

परिशिष्ट

बिहार विधान सभा सचिवालय में 19 कोटि के पदों को निम्न वर्णित छः समूहों में बांटते हुए उन पर सीधी भर्त्ती की पद्धति या पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं परीक्षाओं के संचालन आदि के निर्धारण के संबंध में विनियमन :-

समूह -1	सहायक, शोध / संदर्भ सहायक, पुस्तकालय सहायक, उर्दू सहायक, उर्दू अनुवादक, अनुवादक (अंग्रेजी / हिन्दी) एवं सहायक अवधायक
समूह-2	कनीय लिपिक
समूह-3	प्रतिवेदक, निजी सहायक एवं आशुलिपिक
समूह-4	चालक
समूह-5	पुस्तकालय परिचारी
समूह-6	क्रम-पत्र वितरक, कार्यालय परिचारी, कार्यालय परिचारी (दरबान), कार्यालय परिचारी (सफाईकर्मी), कार्यालय परिचारी (माली) एवं कार्यालय परिचारी (फर्राश)

सभी समूहों के पदों पर सीधी भरती हेतु आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किया जायेगा ।

❖ *समूह-1*

<u>सहायक, शोध / संदर्भ सहायक, पुस्तकालय सहायक, उर्दू सहायक, उर्दू अनुवादक, अनुवादक (अंग्रेजी / हिन्दी) एवं सहायक अवधायक ।</u>

<u>पद्धति/आकार/विषय/अंक</u>:- ये सभी स्नातक / स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता के पद हैं जिनपर भर्त्ती हेतु दो चरणों में परीक्षा ली जायेगी । सर्वप्रथम एक कम्प्यूटर आधारित **प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय)** ली जायेगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की **मुख्य परीक्षा (वर्णनात्मक)** ली जायेगी।

(i) <u>प्रारम्भिक परीक्षा</u>:- समूह-1 के सभी सातों पदों के लिए एक ही प्रारंभिक परीक्षा ली जायेगी जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु अलग-अलग सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी । इस प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे । प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा । परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे । यह परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी । प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 (चार) अंक प्रदान किए जाएँगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती भी की जाएगी । प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा । अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे ।

प्रारंभिक परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे :-

(क) सामान्य अध्ययन - प्रश्नों की संख्या 40 होगी ।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित - प्रश्नों की संख्या 30 होगी ।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच एवं तार्किक विचार - प्रश्नों की संख्या 30 होगी ।

इस प्रारम्भिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, अनुवर्ती मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त घोषित किया जायेगा । इस निमित्त, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706, दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति / जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे ।

वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग / किसी राज्य लोक सेवा आयोग / अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो । उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर सभा सचिवालय का निर्णय अन्तिम होगा ।

अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जायेगी । विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जायेगी ।

(ii) <u>मुख्य परीक्षा</u>:- प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से अलग-अलग सभी पद हेतु कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जायगा । सभी सातो पदों के लिए अलग-अलग मुख्य परीक्षा ली जाएगी जो दो-दो पत्रों की होगी । सभी पत्र वर्णनात्मक होंगे । मुख्य परीक्षा हेतु पुनः अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा ।

प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से होगा :-

<u>प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम</u> :-

(क) **सामान्य अध्ययन :-** इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जायेंगे ।

(i) सम-सामयिक विषय :- महत्वपूर्ण राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय सम-सामयिक घटनायें, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल-खिलाड़ी ।

(ii) भारत और उसके पड़ोसी देश :- पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास / संस्कृति / भूगोल / आर्थिक परिदृश्य / कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्भव एवं क्रमिक विकास, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आन्दोलन में बिहार का योगदान ।

(ख) **सामान्य विज्ञान एवं गणित :-** इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जायेंगे :-

(i) सामान्य विज्ञान :- भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान ।

(ii) गणित :- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि ।

(ग) **मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार (Mental Ability & Logical Reasoning) :-**

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे । इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जायेंगे :-

सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या ।

<u>मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम</u>:-

इन सभी सात कोटियों के पदों के लिए अलग-अलग ली जाने वाली मुख्य परीक्षा दो पत्रों में ली जायेगी जो वर्णनात्मक (Descriptive) होगी । पाठ्यक्रम एवं अंकों का विवरण पदवार निम्न प्रकार से प्रस्तावित है :-

(i) **<u>सहायक</u> :-**

(1) **प्रथम पत्र** - अंक - 100 अवधि - 2 घंटा ।

हिन्दी भाषा ज्ञान :- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिन्दी विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य होगा किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी । जो उम्मीदवार इस पत्र में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे ।

(2) **द्वितीय पत्र** - अंक - 100 अवधि - 2 घंटा ।

(क) **सामान्य अध्ययन (80 अंक) :-** विश्व / भारत / बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थ व्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएँ, भारत का संविधान एवं उसकी मुख्य विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्त्तव्य, राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और शक्तियां, राज्य का विधान मंडल, राज्य विधान मंडल के अधिकारी, बिहार विधान मंडल के सदस्यों की निरर्हतायें, शक्तियां एवं विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया एवं विधायी कार्य, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय - अधिकार क्षेत्र, शक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण, अधिकारों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, चुनाव, आपात उपबंध, संविधान का संशोधन, अन्य संबंधित मुद्दे और दसवीं अनुसूची ।

(ख) **संख्यात्मक योग्यता** (20 अंक) :- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, समय एवं दूरी ।

(ii) **शोध / संदर्भ सहायक :-**

(1) **प्रथम पत्र** - अंक - 100 अवधि - 2 घंटा ।

हिन्दी भाषा का ज्ञान (50 अंक) :-निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

अंग्रेजी भाषा का ज्ञान (50 अंक):-निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य होगा किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी । जो उम्मीदवार इस पत्र में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे ।

(2) **द्वितीय पत्र** - अंक - 200 अवधि - 3 घंटा ।

(क) **भारत का संविधान** (100 अंक)- भारत का संविधान एवं उसकी मुख्य विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्त्तव्य, राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और शक्तियां, राज्य का विधान मंडल, राज्य विधान मंडल के अधिकारी, बिहार विधान मंडल के सदस्यों की निरर्हतायें, शक्तियां एवं विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया एवं विधायी कार्य, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्ययालय - अधिकार क्षेत्र, शक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण, अधिकारों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, चुनाव, आपात उपबंध, संविधान का संशोधन, अन्य संबंधित मुद्दे और दसवीं अनुसूची ।

(ख) **शोध/संदर्भ लेख का प्रारूपण** (100 अंक)- किसी संवैधानिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उपलब्ध कराये गये सामग्री (जैसे समाचार पत्र कतरन, लेख आदि) से एक स्पष्ट एवं विश्लेषणात्क तरीके से अनुसंधान / संदर्भ नोट तैयार करने की परीक्षार्थी की क्षमता जाँच के लिए इस पत्र को डिजाइन किया जाएगा ।

(iii) **पुस्तकालय सहायक :-**

(1) **प्रथम पत्र** - अंक - 100 अवधि - 2 घंटा ।

हिन्दी भाषा ज्ञान :- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिन्दी विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य होगा किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी । जो उम्मीदवार इस पत्र में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे ।

(2) **द्वितीय पत्र** - अंक - 100 अवधि - 2 घंटा ।

पुस्तकालय पद्धतियाँ एवं तकनीक :-

पुस्तकालय और समाज : पुस्तकालय विज्ञान कानून, पुस्तकालयों के प्रकार, पुस्तकालय संघों, सिस्टम और कार्यक्रम, भारत में पुस्तकालय आंदोलन और पुस्तकालय कानून, संगठन और लाइब्रेरी और सूचना सेवाओं के विकास में शामिल संस्थान-यूनेस्को, आई.एफ.एल.ए., एफ.आई.डी., आई.एन.आई.एस., एन.आई.एस.एस.ए.टी., आदि;

पुस्तकालय प्रबंधन : संग्रह विकास - दस्तावेजों और चयन सिद्धान्तों के प्रकार, अधिग्रहण प्रक्रिया, पत्रिकाओं और आवृत्तियों का अधिग्रहण, दस्तावेजों की तैयारी उपयोग, पुस्तकालय कार्मिक और पुस्तकालय समिति, पुस्तकालय नियम और विनियम, पुस्तकालय वित्त और बजट, पुस्तकालय प्रबंधन, पुस्तकालय संगठन और संरचना के सिद्धान्त, पुस्तकालय का रख-रखाव - परिसंचरण, रख-रखाव, शेल्विंग, स्टॉक सत्यापन, बाध्यकारी और संरक्षण, खरपतवार, आदि;

पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धान्त और अभ्यास : कोलोन और सिद्धान्त, पुस्तकालय वर्गीकरण योजनाएं - डी.डी.सी., सी.सी.

लाइब्रेरी कैटलॉग सिद्धान्त और अभ्यास : कोलोन और सिद्धान्त; पुस्तकालय सूचीकरण कोड – सी.सी.सी. और ए.ए.सी.आर.-II;

संदर्भ और सूचना स्त्रोत : ग्रंथसूची और संदर्भ स्त्रोत के प्रकार, ग्रंथ सूची, संदर्भ स्त्रोत, शब्दकोश, विश्वकोष, तैयार संदर्भ स्त्रोत, आदि; सूचना के स्त्रोत – प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक, वृत्तचित्र, गैर-वृत्तचित्र; ई-किताबें, ई-पत्रिकाओं, आदि;

सूचना सेवाएं : अवधारणा और जानकारी की आवश्यकता; दस्तावेजों के प्रकार; प्रकृति और सूचना सेवाओं, सारणीकरण और अनुक्रमण सेवाओं का संगठन; कंम्प्यूटर आधारित सूचना सेवायें – सी.ए.एस., एस.डी.आई.;

सूचना प्रौद्योगिकी : कम्प्यूटर से परिचय; लाइब्रेरी में कम्प्यूटर का उपयोग, हाउसकीपिंग, लाइब्रेरी ऑटोमेशन; सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज; नेटवर्क – डेलनेट, एन.आई.सी.एन.ई.टी., आदि; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली – एन.आई.एस.एस.ए.टी., एन.ए.एस.एस.डी.ओ.सी., आई.एन.एस.डी.ओ.सी., डी.ई.एस.आई.डी.ओ.सी., आदि ।

(iv) उर्दू सहायक :-

(1) **प्रथम पत्र** – अंक – 100 अवधि – 2 घंटा ।

हिन्दी भाषा का ज्ञान (50 अंक):- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

उर्दू भाषा का ज्ञान (50 अंक):- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिन्दी तथा उर्दू विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य होगा किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी । जो उम्मीदवार इस पत्र में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे ।

(2) **द्वितीय पत्र** – अंक – 100 अवधि – 2 घंटा ।

(क) **सामान्य अध्ययन** (80 अंक) :- विश्व / भारत / बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थ व्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएँ । भारत का संविधान एवं उसकी मुख्य विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्त्तव्य, राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और शक्तियां, राज्य का विधान मंडल, राज्य विधान मंडल के अधिकारी, बिहार विधान मंडल के सदस्यों की निरर्हतायें, शक्तियां एवं विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया एवं विधायी कार्य, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय – अधिकार क्षेत्र, शक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण, अधिकारों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, चुनाव, आपात उपबंध, संविधान का संशोधन, अन्य संबंधित मुद्दे और दसवीं अनुसूची ।

(ख) **संख्यात्मक योग्यता** (20 अंक) :- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, समय एवं दूरी ।

(v) उर्दू अनुवादक :-

मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे जिसमें प्रथम पत्र हिन्दी / उर्दू भाषा ज्ञान एवं उर्दू / हिन्दी भाषा को शुद्ध, संक्षिप्त तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने की क्षमता की जाँच से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे । दूसरे पत्र में उर्दू / हिन्दी अनुवाद से संबंधित प्रश्न होंगे । मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में अलग-अलग 30 प्रतिशत अर्हतांक आवश्यक होगा । अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जायेगी ।

(1) **प्रथम पत्र** – अंक – 100 अवधि – 2 घंटा ।

हिन्दी भाषा का ज्ञान (50 अंक) :- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

उर्दू भाषा का ज्ञान (50 अंक):- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

(2) **द्वितीय पत्र** – अंक – 100 अवधि – 2 घंटा ।

उर्दू / हिन्दी अनुवाद (100 अंक) – इस पेपर में अवतरण (Passages) दिये जायेंगे जो उर्दू से हिन्दी अनुवाद तथा हिन्दी से उर्दू अनुवाद के लिए होंगे ।

(vi) अनुवादक (अंग्रेजी / हिन्दी) :-

मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे जिसमें प्रथम पत्र हिन्दी / अंग्रेजी भाषा ज्ञान एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा को शुद्ध, संक्षिप्त तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने की क्षमता की जाँच से सबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे । दूसरे पत्र में हिन्दी / अंग्रेजी अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे । मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में अलग-अलग 30 प्रतिशत अर्हतांक आवश्यक होगा । अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जायेगी ।

(1) **प्रथम पत्र -** अंक - 100 अवधि - 2 घंटा ।

हिन्दी भाषा का ज्ञान (50 अंक) :-निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

अंग्रेजी भाषा का ज्ञान (50 अंक):-निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

(2) **द्वितीय पत्र -** अंक - 100 अवधि - 2 घंटा ।

अंग्रेजी / हिन्दी अनुवाद - इस पेपर में अवतरण (Passages) होंगे जो अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद के लिए होंगे ।

(vii) सहायक अवधायक :-

(1) **प्रथम पत्र -** अंक - 100 अवधि - 2 घंटा ।

हिन्दी भाषा ज्ञान :- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिन्दी विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य होगा किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी । जो उम्मीदवार इस पत्र में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा के लिए योग्य नहीं समझे जायेंगे ।

(2) **द्वितीय पत्र -** अंक - 100 अवधि - 2 घंटा ।

(क) **सामान्य अध्ययन** (80 अंक):- विश्व / भारत / बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थ व्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनायें ।

(ख) **संख्यात्मक योग्यता** (20 अंक):- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, समय एवं दूरी ।

❖ समूह-2

कनीय लिपिक - ***यह इंटरमीडिएट शैक्षणिक योग्यता का पद है ।***

पद्धति/आकार/अंक :- सर्वप्रथम एक कम्प्यूटर आधारित **परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय)** होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थीयों में से **हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण जाँच** की परीक्षा ली जायेगी ।

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा :- इस परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी तथा इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे । सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे ।

यह परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे । साथ ही प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी । प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा । अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे ।

इस परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे :-

(क) सामान्य अध्ययन - प्रश्नों की संख्या 50 होगी ।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित - प्रश्नों की संख्या 20 होगी ।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच एवं तार्किक विचार - प्रश्नों की संख्या 30 होगी ।

<u>पाठ्यक्रम :- परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है :-</u>

(क) **सामान्य अध्ययन :-** इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जायेंगे ।

(i) **सम-सामयिक विषय :-** महत्वपूर्ण राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय सम-सामयिक घटनायें, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल-खिलाड़ी, ।

(ii) **भारत और उसके पड़ोसी देश :-** पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास / संस्कृति / भूगोल / आर्थिक परिदृश्य / कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्‌भव एवं क्रमिक विकास, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आन्दोलन में बिहार का योगदान ।

(ख) **सामान्य विज्ञान एवं गणित:-**

इसमें मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जायेंगे :-

(i) सामान्य विज्ञान :- भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान ।

(ii) गणित :- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि ।

(ग) **मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार (Mental Ability & Logical Reasoning):-**

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे । इस घटक में निम्न से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे:- सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या ।

❖ **समूह-3**

<u>*प्रतिवेदक, निजी सहायक एवं आशुलिपिक*</u> – ***ये सभी स्नातक शैक्षणिक योग्यता के पद हैं ।***

(i) **प्रतिवेदक:-**

(क) सर्वप्रथम आशुलिपिक (हिन्दी) की परीक्षा होगी, जिसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण जाँच परीक्षा ली जायेगी । आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 5 मिनट की होगी । आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 5 मिनट में 150 शब्द प्रति-मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी । आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 (सत्तर) मिनट का समय अनुमान्य होगा । आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 (दस) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगा ।

परन्तु अपेक्षित आशुलिपि गति वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति पर भी इस शर्त्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा कि वे एक वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट गति की आशुलिपि जाँच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तथा निर्दिष्ट श्रेणी में उनकी संपुष्टि स्वीकृत नहीं होगी ।

(ख) हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा 35-35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से वांछनीय होगा । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-10/परी-1049/77 का०-9, दिनांक 06.01.1978 के आलोक में यह जाँच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगा ।

<u>मेधा सूची तैयार करने का आधार:-</u> आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का ही टंकण जाँच परीक्षा ली जायेगी । टंकण जाँच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में से आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जायेगी ।

(ii) <u>**निजी सहायक:-**</u>

(क) सर्वप्रथम आशुलिपिक (हिन्दी) की परीक्षा ली जायेगी, जिसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण जाँच परीक्षा ली जायेगी । आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 5 मिनट की होगी । आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 5 मिनट में 100 शब्द प्रति-मिनट के हिसाब से 500 शब्दों की होगी । आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 50 मिनट का समय अनुमान्य होगा । आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 (दस) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगा ।

(ख) हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा 30-30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से वांछनीय होगा । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-10/परी-1049/77 का०-9, दिनांक 06.01.1978 के आलोक में यह जाँच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकण में भी हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगा ।

<u>मेधा सूची तैयार करने का आधार</u>:- आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की ही टंकण जाँच परीक्षा ली जायेगी । टंकण जाँच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में से आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जायेगी ।

(iii) <u>आशुलिपिक</u>:-

(क) सर्वप्रथम आशुलिपिक (हिन्दी) की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ली जायेगी जिसमें सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण जाँच परीक्षा ली जायेगी । आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 5 मिनट की होगी । आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 5 मिनट में 80 शब्द प्रति-मिनट के हिसाब से 400 शब्दों की होगी । आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 40 मिनट का समय अनुमान्य है । आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 (दस) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगा ।

(ख) हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा 30-30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से वांछनीय होगा । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-10/परी-1049/77 का०-9, दिनांक 06.01.1978 के आलोक में यह जाँच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकण में भी हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगा ।

<u>मेधा सूची तैयार करने का आधार</u>:- आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की ही टंकण जाँच परीक्षा ली जायेगी । टंकण जाँच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में से आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जायेगी ।

- ***<u>समूह-4</u> : <u>चालक</u>***
- ***<u>समूह-5</u> : <u>पुस्तकालय परिचारी</u>***
- ***<u>समूह-6</u> : <u>क्रम-पत्र वितरक, कार्यालय परिचारी, कार्यालय परिचारी (दरबान), कार्यालय परिचारी (सफाईकर्मी), कार्यालय परिचारी (माली) एवं कार्यालय परिचारी (फराश)</u>*** :-

समूह 4, समूह 5 एवं समूह 6 के सभी पद, मैट्रिक शैक्षणिक योग्यता के पद हैं, जिनपर सीधी भर्त्ती की पद्धति बिहार विधान सभा सचिवालय (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2018 में विहित प्रावधान अपनाते हुए अलग-अलग साक्षात्कार के माध्यम से की जायेगी । इन पदों के लिए सीधी भर्त्ती हेतु लिए जाने वाले साक्षात्कार का पूर्णांक 100 अंक होगा ।

<u>परीक्षा शुल्क</u> :- समूह-1 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए, समूह-2 के कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए एवं समूह-3 के आशुलिपिक (हिन्दी) की परीक्षा हेतु बिहार राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, आरक्षित / अनारक्षित महिला एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों के लिए ₹100/- (एक सौ रूपये) तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए ₹400/- (चार सौ रूपये) का शुल्क निर्धारित किया गया है ।

समूह-4, समूह-5 एवं समूह-6 के पदों पर आवेदन हेतु बिहार राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, आरक्षित / अनारक्षित महिला एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों के लिए ₹25/- (पचीस रूपये) तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए ₹100/- (एक सौ रूपये) का शुल्क निर्धारित किया गया है ।

अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन करते समय Net Banking / Credit / Debit Card के माध्यम से करेंगे । भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क भी देना होगा जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वत: ले लिया जाएगा ।